कार्यालयः जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज.)

क्रमांकः 318 दिनांकः 05 दिसम्बर, 2023

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना क्रमांक 08/ई.वी./2022 दिनांक 12.12.2022 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 25 दिसम्बर, 2023 से रविवार दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है जिसके क्रम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक 13/विविध/2023 दिनांक 02.12.2023 के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो एक्ट, अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। अतः दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में पुरे राजसमन्द न्यायक्षेत्र के सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक फौजदारी व दीवानी मामलें जो जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द, विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो एक्ट, राजसमन्द, विशिष्ट न्यायालय, अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमन्द, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नाथद्वारा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द के समक्ष पेश किये जावेंगे या लम्बित है उन्हें विधि अनुसार सुनने एवं निपटाये जाने हेतु निम्न न्यायिक अधिकारी को अधिकृत किया जाता है :–

क्र.सं.	शीतकालीन अवकाश अवधि हेतु अधिकृत अधिकारी का नाम	अवधि (दिनांक)
1.	श्रीमती पूनम मीना वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़	26.12.2023 से 27.12.2023
2.	श्रीमती ऋचा चायल अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द	28.12.2023 से 30.12.2023

उक्त शीतकालीन अवकाश अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस., सी.बी.आई. केसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण एवं पोक्सो एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक शीतकालीन अवकाश अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे।

उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में आने वाले राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों में उक्त अधिकृत न्यायालय भी बंद रहेगा। उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी की बैठक का स्थान राजसमन्द मुख्यालय पर **वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द** का न्यायालय रहेगा। अतः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के कर्मचारीगण (आवश्यकतानुसार रीडर, स्टेनों, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकतम चार) दिनांक 25.12.2023 से 31.12.2023 तक शीतकालीन अवकाशों का उपभोग नहीं करेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अगले कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय होंगे।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द